

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

भू.अ.आ. 98/2007

ग्राम सभा ककरोला

..... अपीलार्थी

के द्वारा: श्री राकेश टिकू सह सुश्री अरुणा टिकू,
अधिवक्तागण

बनाम

सरबति व अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

के द्वारा: प्रत्यर्थी सं. 1 हेतु श्री बी.डी. शर्मा
और श्री एम.पी. सिद्दीकी,
अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी सं. 2 हेतु श्री संजय पोद्दार,
अधिवक्ता।

भू.अ.आ. 99/2007

ग्राम सभा ककरोला

..... अपीलार्थी

के द्वारा: श्री राकेश टिकू सह सुश्री अरुणा टिकू,
अधिवक्तागण

बनाम

माँगे राम व अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

के द्वारा: प्रत्यर्थी सं. 1 हेतु श्री बी.डी. शर्मा
और श्री एम.पी. सिद्दीकी,
अधिवक्तागण।
प्रत्यर्थी सं. 2 हेतु श्री संजय पोद्दार,
अधिवक्ता।

भू.अ.आ. 102/2007

ग्राम सभा ककरोलाअपीलार्थी
के द्वारा: श्री राकेश टिकू सह सुश्री अरुणा टिकू,
अधिवक्तागण

बनाम

फतेह सिंह व अन्यप्रत्यर्थीगण
के द्वारा: प्रत्यर्थी सं. 1 हेतु श्री बी.डी. शर्मा और श्री
एम.पी. सिद्दीकी, अधिवक्तागण।
प्रत्यर्थी सं. 2 हेतु श्री संजय पोद्दार,
अधिवक्ता।

निर्णय की तिथि

28.08.2008

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप नंदराजोग

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील गौर

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?
2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं?
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए?

न्या. प्रदीप नंदराजोग (मौखिक)

1. शुरुआत में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अनजाने में भारत संघ को प्रोफार्मा प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया था।
2. दायर किए गए एक मौखिक आवेदन पर, भारत संघ को प्रत्यर्थी सं. 2 के रूप में पक्षकार बनाया जाता है। पक्षकारगण द्वारा दायर संशोधित ज्ञापन को अभिलेख में लिया जाता है।
3. भारतीय संघ को नोटिस जारी करें। श्री संजय पोद्दार, अधिवक्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, से भारतीय संघ के लिए नोटिस स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता ने भारत संघ के लिए नोटिस स्वीकार किया है।

भू.अ.आ. सं. 98, 99 और 102/2007

1. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया है। अपीलों का निपटान विचारण न्यायालय के अभिलेख की प्रतीक्षा किए बिना पक्षकारगण की सहमति से किया जा रहा है।
2. उपरोक्त अपीलों के निपटान के उद्देश्य से, पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विद्वान संदर्भ न्यायालय द्वारा वहाँ से निकाले गए तथ्यों और निष्कर्षों के वर्णन को सही और बाध्यकारी माना जा सकता है।
3. विचार के लिए एक साधारण मुद्दा उठता है। क्या स्वीकृत तथ्यों के आधार पर, ककरोला गाँव की ग्राम सभा और पहले प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण) के मध्य 25% : 75% के अनुपात में विभाजित प्रतिकर सही है।
4. सभी अपीलें ककरोला गाँव की राजस्व संपदा में शामिल भूमि से संबंधित हैं। ककरोला गाँव की भूमि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित की गई थी। जब अधिग्रहण हुआ, तो ककरोला गाँव की ग्राम सभा और प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण) सं. 1 तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के मध्य विवाद लंबित था, जो आज हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हैं।
5. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण) सं. 1 के दावे से संबंधित विवाद (मूल रूप से राजस्व सहायक के समक्ष दायर) जिसमें अधिग्रहित की गई कुछ भूमियों का भूमिदार घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया था। प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण) सं. 1 ने दावा किया कि वर्ष 1976 में भारत सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत ककरोला गाँव की ग्राम सभा की बंजर भूमि उन्हें पुनः प्राप्त करने के

लिए आवंटित की गई थी और भूमि को पुनः प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने भूमि का भूमिधर घोषित होने के लिए दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 74(4) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी थी। अतः बताते हुए, इन व्यक्तियों द्वारा दावा किया गया कि यदि उन्हें भूमि का भूमिधर घोषित कर दिया गया तो अधिग्रहित भूमि से संबंधित संपूर्ण प्रतिकर उनके हिस्से में आ जाएगा। इसके विपरीत, ग्राम सभा का रुख यह था कि प्रत्यर्थी सं. 1 में से किसी को भी भूमि का भूमिदार घोषित नहीं किया गया था और ग्राम सभा को भूमिदार के रूप में दर्ज किया जाना जारी रहा और इसलिए वह प्रतिकर के बड़े हिस्से की हकदार होगी।

6. इस स्तर पर, यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि दिल्ली में जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने की दृष्टि से, दिल्ली सुधार अधिनियम 1954 को दिनांक 24.7.1954 को प्रख्यापित किया गया था। न केवल जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन भूमि जोतने वाले को वंशानुगत अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से काश्तकारी प्रणाली लागू की गई।

7. अधिनियम द्वारा दो प्रकार की काश्तकारी को मान्यता दी गई थी। पहला भूमिधारी अधिकार था और दूसरा असामी अधिकार था। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 4 में ऐसा प्रावधान है।

8. उक्त अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 में क्रमशः दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 लागू होने पर भूमिधर प्रख्यापित किए जाने का हकदार कौन होगा और कौन असामी घोषित होने का हकदार होगा।

9. भूमिधर और असामी के अधिकार दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 22 से 47 के तहत सूचीबद्ध हैं।

10. इतना अभिलेखित करना ही पर्याप्त होगा कि यहाँ भूमिधर के अधिकार और असामी के अधिकार में अंतर है। भूमिधर के अधिकारों में तीन आवश्यक विशेषताएँ जुड़ी होती हैं; (1) स्वामित्व का स्थायित्व; (2) स्वामित्व की वंशानुगत विशेषता; और (3) स्वामित्व की हस्तांतरणीयता। इसके विपरीत, असामी को कम अधिकार प्राप्त होते हैं। असामी की स्थायित्व अनुदान (पट्टा) की अवधि से संबंधित है। यह एक अहस्तांतरणीय अधिकार है। यह अधिकार वंशानुगत है, लेकिन असामी की मृत्यु के पश्चात अनुदान (पट्टा) की शेष अवधि के लिए ही है। असामी के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 32 और धारा 68 का संदर्भ लिया जा सकता है।

11. तत्काल अपीलों के तथ्यों पर लौटते हुए, स्वीकृत स्थिति यह है कि भूमिधर घोषित किए जाने के लिए प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण) सं. 1 के दावों को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 74(4) के तहत न्यायनिर्णयन की आवश्यकता थी। उक्त अधिनियम की धारा 74(4) के आदेश के अनुसार प्रत्यर्थी

सं. 1 को साक्ष्य निवेदित करने के पश्चात भूमिधर घोषित किये जाने के लिए अपनी पात्रता सिद्ध करनी थी। इसी तरह, ग्राम सभा को प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण) सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार था। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 74 की उप-धाराएँ (1) और (4) निम्नानुसार पढ़ी जाती हैं: -

"74. धारा 6 के खंड (क) के उपखंड (iii) में उल्लिखित भूमि या सुधार के लिए बंजर भूमि में प्रवेश- (1) ग्राम सभा को धारा 6 के खंड (क) के उपखंड (iii) में उल्लिखित किसी भी वर्ग में आने वाली किसी भी भूमि में किसी भी व्यक्ति को असामी के रूप में प्रवेश देने का अधिकार होगा, जहां-

(क) वह एक खाली भूमि है,

(ख) भूमि ग्राम सभा में निहित है, या

(ग) भूमि धारा 72 के तहत या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत ग्राम सभा के कब्जे में आ गई है।

(2)

(3)

(4) पाँच वर्ष के अंत में, ग्राम सभा राजस्व सहायक को रिपोर्ट करेगी कि किस हद तक पुनः दावा किया गया है। राजस्व सहायक, आवश्यक जाँच के पश्चात और असामी को सुनने के पश्चात, या तो पट्टे को समाप्त करने और उसके निष्कासन का आदेश देगा यदि कोई पुनर्ग्रहण नहीं हुआ है या दो वर्ष की एक और अवधि के लिए अपने पट्टे का विस्तार करेगा। तथापि, यदि भूमि पांच वर्ष की अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान विधिवत पुनः प्राप्त कर ली गई है, तो राजस्व सहायक धारा 73 के अन्तर्गत असामी को भूमिधर के रूप में स्वीकार करने के लिए ग्राम सभा को निर्देश देगा। भूमिधर के रूप में स्वीकार किए जाने पर असामी ऐसे भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो उपकरणों और स्थानीय दरों के साथ प्रचलित गांव के लगान दर पर गणना किए गए लगान के 50 प्रतिशत के बराबर होगा, लेकिन वह किसी भी प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।”

12. यह स्पष्ट है कि जब अधिग्रहण की कार्यवाही के परिणामस्वरूप भूमि का अधिग्रहण शुरू हुआ, तो राजस्व सहायक द्वारा निषेधाज्ञा से पूर्व दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 द्वारा न्यायिक प्रक्रिया पर विचार किया गया।

13. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 30/31 के अंतर्गत संदर्भ न्यायालय के समक्ष प्रतिकर के बंटवारे का मुद्दा आया, जिस पर भूमि

अधिग्रहण के समय ही दावों पर निर्णय लिया जाना आवश्यक था, जिसके लिए संदर्भ न्यायालय को प्रतिकर के बंटवारे का निर्धारण करना आवश्यक था।

14. प्रतिकर के बंटवारे से संबंधित निर्णय में कई कारक शामिल किए जाते हैं। हम उन्हें सूचीबद्ध करने का इरादा नहीं रखते क्योंकि उन्हें एक निश्चित दायरे में नहीं रखा जा सकता।

15. यह ध्यान रखना पर्याप्त होगा कि जब ग्राम सभा किसी व्यक्ति को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 74(1) के तहत भूमि के भूमिदार के रूप में स्वीकार करती है, तो असामी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसके लिए उक्त 5 वर्षों के भीतर भूमि का पुनः दावा करना आवश्यक होता है और असामी में भूमिदारी अधिकार प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण को एक शर्त के रूप में साबित करना होता है, साथ ही ग्राम सभा के भूमिदारी अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि ग्राम सभा यह साबित करने में सफल हो जाती है कि भूमि का पुनः दावा नहीं किया गया था, तो असामी का अधिकार समाप्त हो जाता है और कब्जा ग्राम सभा को वापस मिल जाता है।

16. लेकिन, भूमि अधिग्रहण के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया निरस्त हो जाने पर, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिए गए मुआवजे को प्राप्त करने की पात्रता का निर्णय संबंधित दावों को महत्व देते हुए किया जाना चाहिए।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय के 1994 (V) एससीसी 239 इंदर प्रसाद बनाम भारत के संघ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, विद्वान संदर्भ न्यायालय ने ग्राम सभा और प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण) सं. 1 के बीच 25% : 75% के अनुपात में प्रतिकर का बंटवारा किया है।

18. इंदर प्रसाद मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय पट्टाकर्ता के रूप में भारत संघ और स्थायी पट्टेदार के रूप में इंदर प्रसाद के मध्य प्रतिकर के बंटवारे से संबंधित था।

19. इंदर प्रसाद के मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय, हमारी राय में, विद्वान संदर्भ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है, क्योंकि उक्त मामले में पक्षकारगण के अधिकारों को एक पट्टेदार और एक स्थायी पट्टेदार के रूप में स्पष्ट किया गया था। बंटवारा पट्टेदार के स्वामित्व खोने से संबंधित है और इसलिए पट्टे के अनुसार किराया प्राप्त करने का अधिकार खो देता है। स्थायी पट्टेदार मालिकाना अधिकार खो देता है। उक्त स्थिति में, आवंटन को स्पष्ट रूप से उस किराये के पूंजीकरण पर ध्यान में रखना होगा जिसे पट्टाकर्ता ने खो दिया था और उसे निर्धारित प्रतिकर में से पट्टाकर्ता को देना होगा तथा शेष राशि को स्थायी पट्टेदार को भुगतान किया जाना है।

20. वर्तमान मुद्दे पर, हम इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय 117 (2005) डीएलटी 588 (डीबी) मोती लाल जैन बनाम मुख्तियार सिंह द्वारा निर्देशित और अनुशासित हैं।

21. मोती लाल जैन मामले (पूर्वोक्त) में न्यायालय की खंड न्यायपीठ पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के अंतर्गत भूमिधर और गैर-कब्जाधारी भू-धृतिधारक के मध्य बंटवारे के मुद्दे पर विचार कर रही थी, जिसका अधिभोगी किरायेदार घोषित किए जाने का दावा उस समय लंबित था जब उक्त मामले की विषयगत भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

22. खण्ड न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि मालिक और गैर-अधिभोगी किरायेदार के मध्य बंटवारा 40% : 60% के अनुपात में होना चाहिए, जो अधिभोगी किरायेदार के रूप में घोषित किए जाने के अधिकार का दावा करता है।

23. एक असामी और एक अधिभोग किरायेदार के हित के मध्य समानता को पंजाब किरायेदारी अधिनियम 1957 के प्रावधानों के संदर्भ में नोट किया जा सकता है। गैर-अधिभोगी किरायेदार जो एक अधिभोगी किरायेदार होने की घोषणा प्राप्त करता है, उसे पंजाब किरायेदारी अधिनियम 1887 की धारा 5 के तहत एक अधिकार मिलता है, यानी एक निश्चित अवधि के लिए भूमि पर कब्जा रखने का अधिकार मिलता है। यह अधिकार गैर-हस्तांतरणीय है। यह वंशानुगत है। जैसा कि ऊपर पैरा 10 में उल्लेख किया गया है, ये 3 विशेषताएं एक असामी में अधिकार की विशेषताएं हैं।

24. हम इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ के पूर्व निर्णय को नोट कर सकते हैं जिसे हनुमान प्रसाद आदि बनाम चुन्नी उर्फ चुन्नी लाल एवं अन्य

आई.एल.आर. 1977 (2) दिल्ली 687 के रूप में प्रतिवेदित किया गया है, पैरा 10 से 14 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी।

„10. भूमि में संपत्ति के अधिकार भूमि का उपयोग करने, बेचने, गिरवी रखने और उसका दोहन करने के अधिकारों का एक समूह है। जब कृषि भूमि किसी किरायेदार को दी जाती है तो मालिक किरायेदार को भूमि का दोहन करने और उसका उपयोग करने का अधिकार देता है। यदि कानून के तहत अनुमति हो तो मालिक भूमि के नीचे के खनिजों को अपने पास सुरक्षित रख सकता है और भूमि को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार अपने पास रखता है। यदि मालिक बिक्री या गिरवी रखने के अधिकार का प्रयोग करता है तो वह उस अधिकार का प्रयोग किरायेदार के भूमि का दोहन या उपयोग करने के अधिकार के अधीन करेगा। ऐसे मामले में क्रेता या गिरवी रखने वाला तब मालिक की जगह ले लेगा और उसके पास केवल वही अधिकार होंगे जो किरायेदार के अधिकारों को छोड़कर उसके पास उपलब्ध हैं। हमारे विचार से जब तक भूमि से आय प्राप्त नहीं होती है, तब तक भूमि के स्वामित्व की संतुष्टि ही एकमात्र अन्य अधिकार है जो मालिक के पास होता है और उस अधिकार को धन के संदर्भ में बदलना मुश्किल है। फिर भी यह एक मूल्यवान अधिकार है।

11. वैधानिक किरायेदार या गैर-अधिभोगी किरायेदार के मामले में, मालिक के पास प्रत्यावर्तन का अधिकार भी उपलब्ध है क्योंकि भूमि का उपयोग करने का अधिकार किरायेदार की बेदखली या किरायेदारी समाप्त होने पर उसे वापस मिल जाता है। वैधानिक किरायेदारी के मामले में प्रत्यावर्तन का ऐसा अधिकार कम से कम वैधानिक किरायेदार के जीवन-काल तक स्थगित कर दिया जाता है या जब तक

कि धारा 3 (1) के खंड (क) से (घ) में उल्लिखित आकस्मिकताओं में से एक नहीं होती है। जहाँ तक अधिभोगी किरायेदारों और भूस्वामियों के मध्य प्रतिकर के विभाजन का संबंध है, न्यायिक निर्णयों द्वारा अपनाया गया अनुपात किरायेदार को 36 प्रतिशत से 80 प्रतिशत और शेष मालिक को देना है। हमने पहले ही देखा है कि वैधानिक किरायेदार के अधिकार एक अधिभोग किरायेदार से कुछ कम हैं। इसलिए, हमारे विचार में किसी मामले की परिस्थितियों के आधार पर, दिए गए प्रतिकर को आधा-आधा भी विभाजित किया जा सकता है।

12. यह आग्रह किया गया था कि किरायेदार से मालिक को भूमि की आय, अर्थात् मलिकाना या किराए और किरायेदार की आय के मध्य एक अनुपात तय किया जा सकता है। हमारी राय में, यह एक बचाव नहीं होगा क्योंकि कभी-कभी मालिकाना पुरानी किरायेदारी में बहुत कम होता है और वैज्ञानिक खेती के इन दिनों में भूमि की उपज उस किराए से बहुत अधिक प्राप्त कर सकती है जो मालिक और किरायेदार के मध्य सहमत हुई है। किसी मालिक द्वारा प्राप्त किराए का पूंजीकरण अधिग्रहण के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर को निर्धारित करने और भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के तरीकों में से एक हो सकता है लेकिन इससे भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रतिकर या बाजार मूल्य के विभाजन या जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए वृद्धि में मदद नहीं मिलती है। जो पता लगाया जाना है वह किरायेदारी अधिकारों का मूल्य है।

13. वर्तमान मामले में श्री चुन्नी और उनसे पहले उनकी माँ और उससे पहले उनके पिता विचाराधीन भूमि के गैर-अधिकार वाले किरायेदार रहे हैं और इस पर खेती करते रहे हैं। अभिलेख में यह स्थापित है कि यह परिवार 1934-35 से इस जमीन पर खेती कर रहा था। यदि अधिग्रहण श्री चुन्नी के जीवनकाल के पश्चात हुआ होता जब उनका बेटा भूमि पर खेती कर रहा था, तो उस बेटे को पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के अंदर अधिभोग किरायेदार के समान अधिकार होते हैं। यह जमीन करीब 30 वर्ष से श्री चुन्नी के परिवार के खेती के लिए अधिकार में थी, जब इसे अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था। एक खेतिहर अपनी भूमि से जुड़ जाता है, और खासकर जब वह इतने लंबे समय से उस जमीन पर खेती कर रहा हो। इसके अलावा, श्री चुन्नी का भू धृति दिल्ली शहरी क्षेत्र (किरायेदार राहत) अधिनियम, 1961 के आधार पर संरक्षित था और लेकिन भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के हस्तक्षेप के लिए वह जीवन भर इस पर खेती करना जारी रख सकते थे। श्री हनुमान प्रसाद और उनके पुत्रों को श्री चुन्नी से किराए के रूप में प्रति वर्ष केवल 25 रुपये की वापसी मिल रही थी और श्री हनुमान प्रसाद आदि द्वारा किराए प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य स्वामित्व अधिकारों का प्रयोग करने के उनके इरादे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

14. भूमि जोतने वाले के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, जो अब संरक्षित हैं, तथा मालिक-भूस्वामी के अधिकार, जो वैधानिक किरायदार के मामले में काफी सीमित हैं, आबंटन कार्यवाही में किरायदार भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रतिकर के एक बड़े हिस्से का हकदार होगा। जैसा

कि हमने पहले देखा है, अधिभोगी किरायेदार को आबंटन कार्यवाही में प्रतिकर का 80 प्रतिशत तक दिया गया है। यह मानते हुए कि एक वैधानिक किरायेदार के अधिकार एक अधिभोगी किरायेदार की तुलना में कुछ कम हैं, एक वैधानिक किरायेदार के लिए प्रतिकर में हिस्सेदारी का उचित अनुमान 65 प्रतिशत होगा।"

25. हनुमान प्रसाद मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय भी उसी सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसका मोती लाल जैन मामले (पूर्वोक्त) में खंड न्यायपीठ द्वारा पालन किया गया था तथा विभाजन के लिए अतिरिक्त विधिगत कारण सामने लाए गए हैं।

26. हम एल.ए.सी. सं. 13/02, एल.ए.सी. सं. 14/02 और एल.ए.सी. सं. 17/02 में दिनांक 15.11.2006 के आक्षेपित आदेश द्वारा किए गए आबंटन को संशोधित करते हुए अपीलों का निपटान करते हैं, जिसमें निर्देश दिया गया है कि विषयगत भूमि के अधिग्रहण पर निर्धारित प्रतिकर प्रत्येक मामले में क्रमशः ग्राम सभा और प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण) सं. 1 के पक्ष में 40%:60% के अनुपात में आबंटित किया जाएगा।

27. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

न्या. प्रदीप नंदराजोग

न्या. सुनील गौर

अगस्त 28, 2008

डीकेजी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।